



इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त हक अधिकार एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2767 रकबा 46 बीघा 9 बीस्वा, खसरा नम्बर 2416/1 रकबा 26 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नम्बर 2417 रकबा 58 बीघा 2 बीस्वा, खसरा नम्बर 2766/1 रकबा 4 बीघा 19 बीस्वा, खसरा नम्बर 2804, रकबा 44 बीघा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 2806 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा, मौजा ग्राम सिरमण्डी मे आई हुई है जो आगे के पदो मे वादग्रस्त भूमि के नमा से सम्बोधित की जायेगी । वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 22 का संयुक्त रूप से 21/64 हिस्सा है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से स्पष्ट है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 एक ही कुटुम्ब से सदस्य है जो पूर्व पुरुष पीराराम के वंशज है । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 को पीराराम फौत होने के बाद जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई है उसके बाद राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे अन्य खातेदारान के साथ प्रार्थी संख्या 1 से 3 के दादा व प्रार्थी संख्या 4 के ससुर भीयाराम का नाम अन्य उतराधिकारी लिच्छीराम व कानाराम के साथ दर्ज हुआ । अप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष लिच्छीराम व कानाराम द्वारा गलत तरीके से झुठा 3 रूपये के स्टाम्प पर बेचान नामा बताकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली जिसका नामान्तकरण संख्या 103 भरा गया जब कि प्रार्थीगण के दादा व ससुर भीयाराम द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई बेचान नामा लिच्छीराम व कानाराम के पक्ष मे निष्पादित नही किया न ही कोई भूमि बेचान की । वादग्रस्त भूमि पर भीयाराम का लगातार कब्जा व काश्त चलता रहा तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार त्रौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । यहा यह कहना भी न्यायोचित होगा कि 3 रूपये के स्टाम्प पर किसी भी प्रकार से कोई बेचान नामा निष्पादित नही किया जा सकता था अनरजिस्टर्ड फर्जी तरीके से बेचान नामा बताकर जो नामान्तकरण दर्ज किया गया है वह नामान्तकरण एक शुन्य नामान्तकरण की परिभाषा मे आता है तथा अनरजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई बेचान नामा निष्पादित नही किया जा सकता है । अनजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर जो नामान्तकरण बताया गया है वह शुन्य है तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण का 21/64 मे 1/3 हिस्सा आज दिन भी यथावत है । उपरोक्त गलत तरीके से फर्जी बेचान नामा बताकर भूमि नामा करवाने की जानकारी प्रार्थीगण व उनके पूर्व पुरुषो को नही थी हाल ही मे जब वादग्रस्त भूमि मे से कुछ भूमि एन.एच.754 के हेतु अवाप्त की कार्यवाही होने पर प्रार्थीगण के नाम से कोई नोटिस नही आया तब पता चला कि प्रार्थीगण के नाम इन लोगो ने फर्जी तरीके से वादग्रस्त भूमि मे से निकलवा दिया तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के सम्पर्क किया तथा उक्त बात बताई तो अप्रार्थीगण ने कहा कि आपका नाम भूलवश निकला है हम साथ चल कर आपके नाम से भूमि दर्ज करके दोगो तो प्रार्थीगण ने इनके कथनो पर विश्वास कर लिया लेकिन अप्रार्थीगण शुरु से ही प्रार्थीगण की भूमि नाम नही करवाना चाहते थे । अभी हाल ही मे दिनांक 3.7.2019 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को भूमि मे अपना नाम करवाने हेतु कहा तो उन्होने कहा कि हम भूमि नाम नही करवायगे तथा जो भूमि अवाप्त होगी उसकी मुआवजा राशि भी हम ही प्राप्त करकेगे तो प्रार्थीगण ने गांव के मुख्यान को इक्का कर अप्रार्थीगण को समझाने की कोशिस की लेकिन ये नही माने तथा साथ ही प्रार्थीगण को ऐलानिया बेदखली की धमकीया दी जब कि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है वादग्रस्त



भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिससे प्रार्थीगण का पूर्ण रूप से हक व अधिकार है । प्रार्थीगण के हक अधिकार की भूमि का कोई बेचान हस्तान्तरण प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो द्वारा नहीं किया इस प्रकार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है । उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में अपूर्ण्य क्षति भी निश्चित तौर से प्रार्थीगण को ही हो रही है क्यो कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि है । जिसमें प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है । परन्तु राजस्व रेकर्ड में फर्जी तरीके से बेचान के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि में से एन.एच 754 के हेतु भूमि अवाप्त हो रही है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को मोके से बेदखल करने हेतु उतारू है तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि अवाप्त की मुआवजा राशि भी नहीं देना चाहते है यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होते है तो प्रार्थीगण को भयंकर समस्या का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो पैसो में नहीं की जा सकेगी । इस प्रकार उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है ।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । अप्रार्थीगण की तरफ से श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया । अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर बताया प्रार्थीगण ने एक वाद अदालत हाजा में अवश्य ही पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की कतई उम्मीद नहीं है । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त हक अधिकार एवम् कब्जा काश्त सुदा भूमि नहीं है बल्कि वादग्रस्त भूमि केवल मात्र अप्रार्थीगण के हक अधिकार अधिपत्य खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त तथा वास्ता नहीं है । प्रार्थीगण ने बदनीयति से बिलकुल झुठा दावा किया हे जो काबिले खारिज हे । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 का संयुक्त रूप से 21/64 हिस्सा नहीं है बल्कि सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थीगण का ही है । अप्रार्थीगण ने भीयाराम का सजरा खानदान गलत बनाया है । भीयाराम के डुंगरराम के अलावा एक दुसरा पुत्र माणकराम भी था जिसके फौत होने पर उसकी पत्नि कोयली उसके पीछे उत्तराधिकारी व हकदार थी एवम् भीयाराम की पत्नि अणची भी हकदार थी जिनका दुसरी भूमियो में नाम दर्ज है तथा अणची हाल ही में फौत हुई है । भीयाराम ने अपने हक हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण को बेचान कर दी थी जिस पर भीयाराम के जीवनकाल से ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी पिछले 50 वर्षों से लगातार चली आ रही है नामान्तरण व जमाबन्दी की नकले साथ में पेश है । अप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष लिछिराम व कानाराम द्वारा गलत तरीके से झुठा कोई बेचान नहीं बताया था बल्कि तत्कालीन समय में एक दुसरे की आवश्यकता व सुविधा के अनुसार बेचान करके नामान्तरण दोनों पक्षों ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा व प्रतिफल ले देकर राजीखुशी व स्वच्छा से बेचान का निस्पादन करवाया था । वादग्रस्त भूमि पर बेचान के बाद विक्रेता की मृत्यु तक उसका कभी कब्जा काश्त व हक वास्ता नहीं रहा था । विक्रेता व क्रेतागण के जीवन काल में दोनों पक्षों ने कभी उजर ऐतराज उक्त बेचान के सम्बन्ध में नहीं किया और नहीं विक्रेता की पत्नि अणची जिसका देहान्त हाल ही में दो तीन वर्ष पहले ही हुआ था एवं विक्रेता के दोनों पुत्र डुंगरराम व माणकराम ने भी अपने जीवन



काल में कभी उजर ऐतराज नहीं किया था इसके अलावा यहां पर यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि आज से करीब 10 वर्ष पहले इसी वादग्रस्त भूमि में से जोधपुर फलोदी नया स्टेट हाईवे नम्बर 61 निकला था उस समय पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा वादग्रस्त भूमि में से सडक के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी उस समय पी. डब्ल्यू. डी. ने अधिसूचना जारी करके आपत्ती में व ऐतराज मांगे थे उस समय प्रार्थीगण ने अधिग्रहण के विरुद्ध कोई ऐतराज पेश नहीं किया था तथा पी. डब्ल्यू. डी. से अधिग्रहित भूमि की सम्पूर्ण राशि अप्रार्थीगण ने प्राप्त की थी इसके अलावा वर्तमान में भारत माला के तहत एन.एच. 754 के लिए वादग्रस्त भूमि में से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की उस समय भी समयावधि के अन्दर भी कोई आपत्ती ऐतराज सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया एवम् अप्रार्थीगण को अधिग्रहित की गई भूमि का करीब 3.53 करोड़ रुपये का भूगतान किया गया। उसके बाद प्रार्थीगण की किसी के बहकाने से नीयत खराब हो गई तथा बदनियती से बिना किसी हक अधिकार व कब्जा काशत के तथा बिना खातेदारी के यह झुंटा दावा महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए एवम् अप्रार्थीगण से रूपये ऐठने के लिए यह दावा पेश किया है जो सरासर गलत व झूठा है। वादग्रस्त भूमि का कोई फर्जी तरीके से बेचान नामा नहीं किया गया है इसके अलावा यदि कोई फर्जी बेचान नामा होता तो विक्रेता खुद अपने जीवनकाल में अलावा विक्रेता की पत्नी या उसके पुत्र अपने जीवनकाल में कोई पुलिस केस या मुकदमा दावा करते जब कि दो पीढ़ी तक ऐसा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवम् 50 वर्ष बाद करोड़ों रुपये का मुआवजा देखकर के यह झुंटा व फर्जी दावा अवश्य ही किया है। विधि अनुसार तत्कालीन समय में बाजार दर से 100/-रूपये से कम मालीयत का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वजों ने या उनके किसी उत्तराधिकारी ने उक्त बेचान को या उसके द्वारा भरे गये नामान्तकण को कभी चलेन्ज नहीं किया है इसलिए अब बिना कब्जे व काशत के इनका यह दावा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वजों को 50 वर्ष पहले से जानकारी थी एवं इनको अपने जन्म से ही पूर्ण जानकारी थी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के नाम करवाने का कभी नहीं कहा और न ही कोई मुआवजा राशि की बात हुई और न ही कभी गांव मुख्यालय से समझाईस की कोई बात हुई ये सभी बातें प्रार्थीगण की कपोल कल्पित व गलत हैं। उपरोक्त वर्णित जबाब दावा से स्पष्ट साबित है कि प्रथम दृष्टया मामला अपूर्ण क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण एक खातेदार व काबिज व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण को कब्जे काशत के अभाव में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। अन्त में अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत, बेवनीयाद निराधार होने से मय हर्जे व खर्चे के खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया चूंकि दोनों पक्षों के हक वाद में बाद साक्ष्य के तय होंगे इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्ण क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए तथा दोनों पक्षों के बीच में और लिटिगेशन नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक तौर से स्वीकार किया जायत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जाती है कि प्रार्थी के हिस्सा जो बनता है

राजस्व अधिकारी, जोधपुर

उस हिस्से की राशि वर्तमान खातेदार के नाम एफ.डी. करवा कर मूल पत्रावली में पेश करे जो निर्णय के समय जिसके पक्ष में निर्णय आयेगा उसे दी जायेगी । शेष मुआवजा वर्तमान खातेदारो को भुगतान की स्वीकृति दी जाती है । भारत माला सडक में आवाप्त होने वाली भूमि के अलावा भूमि पर स्थंगन आदेश कन्फर्म किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो ।



सहायक कलेक्टर, औरंगाबाद
सहायक कलेक्टर, औरंगाबाद

आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।



सहायक कलेक्टर, औरंगाबाद
सहायक कलेक्टर, औरंगाबाद